

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास -- मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या -- 10/2021

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थी
बृजगोपाल चाण्डक पुत्र शंकरलाल जाति माहेश्वरी
निवासी सदर बाजार, खींवसर जिला नागौर।
फर्म-मैसर्स लक्ष्मीनारायण बृजगोपाल बस स्टेण्ड, खींवसर।

आदेश

दिनांक :25.02.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 31-10-2020 को मैसर्स लक्ष्मीनारायण बृजगोपाल बस स्टेण्ड, खींवसर पर खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1386 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/436/एक्ट/2020/235 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना हल्दी पाउडर (लूज) Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त बृजगोपाल चाण्डक पुत्र शंकरलाल जाति माहेश्वरी निवासी सदर बाजार, खींवसर जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(V) का उल्लंघन किया है, जो कि खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 31-12-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने खाद्य पदार्थ हल्दी खुले मे बेचना स्वीकार करते हुए भविष्य मे सावधानी बरतने हेतु आश्वस्त किया गया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/436/एक्ट/2020/235 दिनांक 03.11.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition पाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ने खाद्य पदार्थ हल्दी खुले मे बेचना स्वीकार करते हुए भविष्य मे सावधानी बरतने हेतु आश्वस्त किया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(V) एवं 31(2) एवं धारा 58 का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी बृजगोपाल चाण्डक पुत्र शंकरलाल जाति माहेश्वरी निवासी सदर बाजार, खींवसर जिला नागौर पर 25,000/- अक्षरे रुपये पच्चीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर